न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री धनसिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- आकुना, तह. व जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

सरपंच, ग्राम पंचायत, मडीया, तहसील व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 24/2016

"निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 07 नवम्बर, 2017

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने बाबत जारी नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं.म./2016-17/113 दिनांक 07.12.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 23.1.2017 एवं 13.2.2017 को इस न्यायालय में ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मडीया उपस्थित हुये। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, मडीया की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत नोटिस इस आशय का जारी किया है कि प्रार्थी द्वारा आबादी/गोचर भूमि में पक्का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया है, जो हटाकर पंचायत को सूचित करे अन्यथा पंचायत द्वारा हटाने की कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रहेगी। ग्राम पंचायत, मडिया द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी करने से पूर्व इस तथ्य की जांच नही की गई है कि प्रार्थी द्वारा गोचर भूमि में अतिक्रमण किया है अथवा पंचायत की आबादी भूमि में अतिक्रमण किया है। ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस विरोधाभाषी है जिसमें अतिक्रमण किस भूमि पर है उस बाबत स्पष्ट उल्लेख नही किया है। जबकि मौके पर प्रार्थी द्वारा जिस भूमि पर मकान का निर्माण करवाया गया है वह भूमि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 278 ग्राम आकुना में करवाया है जो ग्राम की आबादी से लगती हुई है तथा प्रार्थी के मकान के आस-पास आबादी बसी हुई है जिसकी पुष्टि मौके के फोटोग्राफस से होती

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है। ग्राम पंचायत, मडीया ने प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि को गोचर भूमि बताकर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थी द्वारा गोचर या पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है, बल्कि प्रार्थी का मकान प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में स्थित है। यदि प्रार्थी का मकान पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है तो भी ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 व 165(4) में अंकितानुसार बाजार दर राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमन किया जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत, मडीया ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया एवं न ही मौके की सही रुप से जांच की गई है, इसलिये ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 07.12.2016 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी धनसिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- मडीया के विरुद्ध नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं.म./2016-17/113 दिनांक 07.12.2016 को इस आशय का जारी किया गया है कि आप द्वारा पंचायत की आबादी/गोचर भूमि में पक्का निर्माण पत्थर इत्यादि डालकर अवैध रुप से अतिक्रमण किया गया है उक्त अतिक्रमण को हटाकर इस पंचायत को सूचित करे एवं इस भूमि के संबंध में आपके पास कोई पट्टा/रजिस्ट्री या अन्य कोई दस्तावेज हो तो पेश करे। ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी उक्त नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में आपको नोटिस दिनांक 29.11.16 को जारी किया गया था, लेकिन आप द्वारा कोई जवाब नही दिया गया एवं नोटिस लेने से इन्कार किया है, अत: आपको पुन: सूचित किया जाता है कि राज. पंचायती राज नियम के नियम 165(3) के अन्तर्गत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया जायेगा।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि प्रार्थी द्वारा पंचायत की आबादी भूमि अथवा गोचर भूमि पर कोई निर्माण या अतिक्रमण नही किया गया है, बल्कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 278 में निर्माण करवाया गया है जो ग्राम की आबादी से लगते हुये है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर आवासीय मकानात बने हुये है।

प्रकरण में ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी उक्त नोटिस में प्रार्थी का पंचायत की आबादी/गोचर भूमि पर अतिक्रमण होना अंकित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी करने से पूर्व इस तथ्य की जांच नही की गई है कि वस्तुत: मौके पर प्रार्थी का अतिक्रमण पंचायत की आबादी भूमि पर है अथवा गोचर भूमि पर है। जबकि प्रार्थी के कथनानुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में मकान/पक्का निर्माण कार्य किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि मौके पर प्रार्थी का अतिक्रमण पंचायत की आबादी भूमि पर है और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 में उल्लेखित शर्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का उल्लंघन नही होता है तो पंचायत ऐसी अतिक्रमित आबादी भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित कर नियमन कर सकती है। इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165(4) में यह स्पष्ट रुप से उल्लेख किया हुआ है कि यदि नियम 146 में उल्लेखित शर्त का उल्लंघन नही होता हो तो पंचायत अतिक्रमित भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित कर नियमन कर सकेगी। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नोटिस को निरस्त करते हुये प्रकरण ग्राम पंचायत, मडीया को विवादित भूमि के मौके की सही रुप से जांच कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मडीया द्वारा प्रार्थी धनसिंह पुत्र रघुनाथसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- आकूना के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं.म./2016-17/113 दिनांक 07.12.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, मडीया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के मौके की सही रुप से जांच कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही